फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– राजमल शर्मा **विपक्षी :– कैलाशचन्द्र**

किस्म मुकदमा – 136 भू रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 03/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 11.06.2025 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपेरोकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में स्वयं का नाम अनील कुमार पिता लक्ष्मीलाल ब्राहम्ण गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनील कुमार पिता लक्ष्मीलाल व राजमल पिता लक्ष्मीलाल दोनो एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत गुडली द्वारा जारी प्रमाण पत्र 16.12.2024, आधार कार्ड की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड की प्रति, वोटर आईडी की प्रति प्रस्तुत की जिनमें राजमल पिता लक्ष्मीलाल अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राजमल पिता लक्ष्मीलाल अंकित होना जाहिर होता है। सहखातेदार वादी का भाई द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे भाई का नाम अनील दर्ज कर दिया गया, जबकि वास्तविक नाम राजमल है। तहसीलदार रिपोर्ट के साथ प्रार्थी की माता के भी पटवारी द्वारा बयान लिये जाकर संलग्न किये गये है। जिनमें प्रार्थी की माता ने भी स्वीकार किया है कि उनके पुत्र का नाम अनील नही होकर राजमल है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण भरते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही नाम बता देते है। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तवित नाम से पारित नही होकर ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण में भी वादी के ग्रामीण परिवेश में कुछ लोग अनील के नाम से पुकारते थे, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में अनील अंकित हो गया जबकि वादी का वास्तविक नाम राजमल है। जिस पर सहखातेदार वादी का भाई एवं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

माता द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ओडवाडिया पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 181 पर दर्ज आराजी नम्बर 1154, 1157, 1158, 1305, 1308, 1310, 1311, 1312, 1326, 1327, 1721, 1722, 546 किता 13 कुल रकबा 1.4973 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम अनील कुमार पिता लक्ष्मीलाल के बजाय अनील उर्फ राजमल पिता लक्ष्मीलाल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested